न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –10/2025

अनवान

भंवरसिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह पिता श्री भैरूसिंह, जाति राजपूत, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम बडौदिया, तहसील रावतभाटा, हाल निवासी मांगटला, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान, मो. नं. 9587128924 प्रार्थीगण

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह अभिभाषक प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 19.03.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेकाश्त की कृषि आराजीयात ग्राम भगवतपुरा, पटवार हल्का बडौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित है, जो जमाबंदी सम्वत 2076–2079 की खाता संख्या 12 खसरा संख्या 76, 79, कुल किता 02 रकबा 4.9900 हेक्टेयर है, जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व ग्राम भगवतपुरा की खाता संख्या 27 खसरा संख्या 80 रकबा 4.6200 हेक्टेयर में 1/63 हिस्सा व ग्राम बडौदिया की खाता संख्या 200 खसरा संख्या 218 में प्रार्थी का 1/63 हिस्सा व ग्राम बडौदिया की खाता संख्या 199 खसरा संख्या 222, 223, 252, 256, 257 कुल किता 05 कुल रकबा 1.2300 हेक्टेयर में प्रार्थी का 1/21 हिस्सा व ग्राम बडौदिया की खाता संख्या 59 खसरा संख्या 250, 251 कुल किता 02 रकबा 0.70 हेक्टेयर में प्रार्थी का 1/21 हिस्सा है। उक्त सभी खातों में सहखातेदारान का भी हिस्सा निहित है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की सभी जमीनों पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी के पिता का प्रार्थी की बाल्यावस्था में ही स्वर्गवास हो गया था तथा प्रार्थी को बचपन में भंवर नाम से ही जाना व पहचाना जाता था, जबकि स्कूल व सभी दस्तावेज (आधार, पेन, राशन कार्ड, बैंक आदि) में प्रार्थी का नाम भूपेन्द्र सिंह है। प्रार्थी काफी लंबे समय से ग्राम मांगटला जाकर निवास करने लग गया था। इसी बीच प्रार्थी के परिवारजनों ने स्वर्गीय भैरूसिंह जी की विरासत का नामांतरण खुलवाया, तब प्रार्थी का नाम भंवर सिंह पिता भैरूसिंह लिखवा दिया गया, जिससे प्रार्थी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में नाम भूपेन्द्र सिंह पिता भैरूसिंह है। अतः उक्त इन्द्राज दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र भंवर सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह पिता भैरूसिंह के नाम से प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि मुझ प्रार्थी के खाते दर्ज रिकॉर्ड कृषि आराजीयात ग्राम भगवतपुरा, पटवार हल्का बडौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित है, जो जमाबंदी सम्वत 2076–2079 की खाता संख्या 12, खसरा संख्या 76, 79 कुल किता 02 रकबा 4.9900 हेक्टेयर जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व ग्राम भगवतपुरा की खाता संख्या 27 खसरा संख्या 80, रकबा 4.6200 हेक्टेयर में 1/63 हिस्सा व ग्राम बडौदिया की खाता संख्या 200 खसरा संख्या 218 में प्रार्थी का 1/63 हिस्सा व ग्राम बडौदिया की खाता संख्या 199 खसरा संख्या 222, 223, 252, 256, 257 कुल किता 05 कुल रकबा 1. 2300 हेक्टेयर में प्रार्थी का 1/21 हिस्सा व तथा ग्राम बडौदिया की खाता संख्या 59, खसरा संख्या 250, 251 कुल किता 02 रकबा 0.70 हेक्टेयर प्रार्थी का 1/21 हिस्सा है। जिन सभी में मुझ प्रार्थी का नाम "भंवर सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह" किए जाने की इन्द्राज दुरुस्ती का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 06.02.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार ग्राम भगवतपुरा प0ह0 बडोदिया तहसील रावतभाटा के जमाबंदी संवत् 2076–79 में आराजी संख्या 76, 79 कुल किता 02 रकबा 4.99है0 हिस्सा 1/2 भंवर सिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत सा. बडोदिया दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 27 खसरा संख्या 80 रकबा 4.62है0 हिस्सा 1/63 भंवरसिंह पिता भैंरूसिंह जाति राजपूत ग्राम बडोदिया खाता संख्या 199 खसरा संख्या 222, 223, 252, 256, 257 कुल किता 05 रकबा 1.23है0 हिस्सा 1/21 भंवरसिंह पिता भैरूसिंह दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 59 खसरा संख्या 250, 251 कुल किता 02 हिस्सा 1/21 भंवरसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत सा. बडोदिया दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी भंवरसिंह के पिता का स्वर्गवास होने के बाद नामान्तकरण संख्या 86 पर दर्ज किया गया जिसमे वादी का नाम भंवरसिंह दर्ज है। नामान्तरकरण की प्रति संलग्न है। प्रार्थी के उपलब्ध दस्तावेज जैसे बैंक पास बुक एवं आधार कार्ड में

प्रार्थी का नाम भूपेन्द्र सिंह है व प्रार्थी का बचपन का नाम भंवरसिंह बताया गया। ग्राम भगवतपुरा मे आमजन से पुछताछ की गई तो लोगो ने वादी का नाम भंवरसिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से व इकबाले जवाब पेश करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व शपथ पत्रों एवं ग्राम पंचायत बडोदिया के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि ग्राम भगवतपुरा, पटवार हल्का बडौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 की खाता संख्या 12 खसरा संख्या 76, 79 कुल किता 02 रकबा 4.9900 हेक्टेयर व ग्राम भगवतपुरा की खाता संख्या 27 खसरा संख्या 80 रकबा 4.6200 है0 व ग्राम बडौदिया की खाता संख्या 200 खसरा संख्या 218 रकबा 2.56है0 व ग्राम बडौदिया की खाता संख्या 199 खसरा संख्या 222, 223, 252, 256, 257 कुल किता 05 कुल रकबा 1.2300 हेक्टेयर व ग्राम बडौदिया की खाता संख्या 59 खसरा संख्या 250, 251 कुल किता 02 रकबा 0.70 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का बचपन का नाम गांव मे भंवरसिंह है, जबकि प्रार्थी का असल नाम भंवरसिंह उर्फ भूपेन्द्रसिंह होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का नाम भंवरसिंह के स्थान पर भंवरसिंह उर्फ भूपेन्द्रसिंह करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–ःआदेशः–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवतपुरा, पटवार हल्का बडौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 की खाता संख्या 12 खसरा संख्या 76, 79 कुल किता 02 रकबा 4.9900 हेक्टेयर व ग्राम भगवतपुरा की खाता संख्या 27 खसरा संख्या 80 रकबा 4.6200 है0 व ग्राम बडौदिया की खाता संख्या 200 खसरा संख्या 218 रकबा 2.56है0 व ग्राम बडौदिया की खाता संख्या 199 खसरा संख्या 222, 223, 252, 256, 257 कुल किता 05 कुल रकबा 1.2300 हेक्टेयर व ग्राम बडौदिया की खाता संख्या 59 खसरा संख्या 250, 251 कुल किता 02 रकबा 0.70 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम भंवरसिंह के स्थान पर भंवरसिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को सुनाया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़